

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 21/51-2003S-I (1) दिनांक चण्डीगढ़ 28.06.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम - 2003 के नियम -33 में नियत शक्तियों के अन्तर्गत मदरस प्राईड पब्लिक स्कूल, चीका, (कैथल) 10वीं तक की सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 21/51-2003S-I (1) दिनांक, 28.6.2004 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 32/KAITHAL/10TH./C.B.S.E./2004

आर० बी० लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 28.06.2004

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रबन्ध समिति, मदरस प्राईड एजुकेशनल सोसायटी, चीका, कैथल
- 2 ✓ सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
- 4 मास्टर फाईल।

28/6/04
शाखा अधिकारी

कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।